न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2023 (राजसमन्द आर्डर)

1. भीमसिंह पिता उदयसिंह जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नारायणसिंह पिता उदयसिंह जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शंकरसिंह पिता उदयसिंह जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती प्रेमी बाई पिता उदयसिंह जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती कैलाशी बेवा उदयसिंह जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मांगूसिंह पिता परसा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती राधा पिता परसा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती कमला पिता परसा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती इन्द्रा बेवा परसा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
10. किशनसिंह पिता छोगा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
11. महेन्द्रसिंह पिता छोगा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
12. श्रीमती सीता पिता छोगा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
13. श्रीमती कमला बेवा छोगा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
14. नाथूसिंह पिता मोड़ा जी रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. लच्छु पिता लुम्बा जी, जाति गुर्जर, निवासी खाखरमाला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. धुलचन्द पिता छगनलाल जी, जाति गुर्जर, निवासी खाखरमाला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

3. अमरचन्द पिता छगनलाल जी, जाति महाजन, निवासी कुवांथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. मदनसिंह पिता गोमा रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. मोहनीबाई पिता कालु जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. कल्लाबाई पिता कालु जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. रमेश पिता पन्ना जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. मांगीलाल पिता डालु जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. शम्भुलाल पिता डालु जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
10. शान्तिलाल पिता डालु जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
11. संतोषी पिता डालु जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
12. गंगा पत्नी रमेश जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
13. मोडी पत्नी पन्ना जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
14. मीराबाई पुत्री पन्नालाल जी, जाति बलाई, रावणा राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 29.11.2022 प्र.सं. 8/2019

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री चेतन पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो.सं. 3
3– श्री धूलचन्द जाट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.4
4– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15

---::---

निर्णय दिनांक 21–03–2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्र... है ... अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या ... ने एक प्रार्थना... अन्तर्गत धारा 251–क

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम टणका में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के आराजी नंबर 829 रकबा 4.2500 हैक्टर एवं 864 रकबा 0.1000 हैक्टर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी के आराजी नंबर 830 से 837, 839 से 842, 844, 917, 922 स्थित है। उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 868, 854, 855 व 852 से है, जो मौके पर 12 फिट चौडा है। जिसे विपक्षीगण ने बन्द कर दिया था, जिसे खोलने हेतु प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 06–12–2016 को उक्त रास्ता खोलने का निर्देश पटवारी हल्का को दिया। जिस पर विपक्षी संख्या 1 ने जिला कलक्टर के यहां अपील प्रस्तुत की तथा दौराने अपील पक्षकारों में आपसी राजीनामा हो जाने से दोनों पक्षों हेतु नया रास्ता कायम किया गया वह सहमति से प्रकरण रिमाण्ड किया गया, जिस पर तहसीलदार आमेट ने दिनांक 13–07–2017 को पुनः निर्णय पारित करते हुए सहमति के आधार पर नया रास्ता कायम किया। उक्त रास्ता आराजी नंबर 868, 854, 855 व 852 से होता हुआ आराजी नंबर 829 में जायेगा एवं यह 12 फिट चौड़ा होगा, जिसके दोनों तरफ एक–एक फिट चौड़ी दीवार होगी। उक्त समझौते अनुसार आराजी नंबर 868 में जो नया रास्ता कायम किया गया है, वही कायम रहेगा। पूर्व में उक्त आराजी में जो रास्ता था वह निरस्त हो गया, नया रास्ता ही कायम रहेगा। अब विपक्षीगण द्वारा जबरदस्ती उक्त रास्ता बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः आराजी नंबर 868, 854, 855 व 852 से होता हुआ आराजी नंबर 829 में जाता हुआ 12 फिट चौड़ा शीघ्र खुलवाया जावे तथा राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में पृथक से रास्ता दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29–11–2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 19–04–2023 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री धुलचन्द जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को दिनांक 07--02--2023 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई। इसके बाद अधिवक्तागण की हड़ताल होने से अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि पटवारी हल्का द्वारा कायम किया गया पर्चा मौका का गम्भीरता से अवलोकन करने से स्पष्ट है कि केवल मात्र अपीलान्ट की भूमि को नुकसान पहुंचाने की गरज से बेतरतीब तरीके से 12 फिट का रास्ता दिया गया है, जिससे अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका एवजाना नकदी में कतई संभव नहीं है। रेस्पोन्डेन्टगण ने आपस में दुरभिसंधि कर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की गरज से मदनसिंह की सहमति के आधार पर नया रास्ता कायम करवा लिया है, जो न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने से रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मौका पर्चा दिनांक 25--11--2021 में पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि "प्रार्थीगण [illegible] आराजी नंबर 868, 854, 855, 852 रकबा क्रमशः 0.03[illegible] 0.03[illegible] 0.0113, 0.0143 कुल किता 4 रकबा 0.0904 [illegible] कर गुज[illegible]। मौके पर प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

सह-प्रभारी अधिकारी
एवं सदस्य राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

कच्चा रास्ता जो कि पक्के सड़क से जुड़ा हुआ है, पक्के सड़क के पास वाले मुंह पर एक लोहे का फाटक लगा हुआ है। प्रार्थीगण ने बताया कि प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में चालू है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बार-बार बन्द कर दिया जाता है। अतः इस बाबत् स्थायी समाधान भी जरूरी है। प्रस्तावित रास्ते के आराजी नंबर 868, 854, 855, 852 रकबा क्रमशः 0.0343, 0.0300, 0.0113, 0.0143 कुल किता 4 रकबा 0.0904 हैक्टर है।" अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न पूर्व की मौका रिपोर्टो में भी लगभग इसी प्रकार का अंकन किया गया है तथा उक्त रास्ते बाबत् पक्षकारों के मध्य 100/- रूपये के स्टाम्प पर आपसी राजीनामा भी हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने से रास्ते बाबत् जो आदेश पारित किया है वह उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29-11-2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 21-03-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested